न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—12 / 2017 (2017 / 00021) वाद पत्र

अनवान

1—भवंरनाथ पिता रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—मिश्री पिता मोडा जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—सुड़ा पिता मोडा जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—बद्री पिता मोडा जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—जगदीश पिता बालु जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय रायपुर तहसील रायपुर
6—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन— अधिवक्ता वादी
2. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः—22.03.2022

पत्रावली पेश हुई प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में वादी के आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारो की आराजी संख्या 788 / 348 रकबा 0.0432 है0 स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजी के आगे आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है0 गै.मु सड़क है जो राजस्व नक्शे में अकिंत है किन्तु मौके पर सड़क आराजी संख्या 349 के मध्य होकर घुम जाती है तथा प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 345 के उत्तरी कोने से होकर निकलती है तथा आगे आ.सं. 347 में मिल जाती हैं तथा आ.सं. 349 का उत्तरी कोना खाली पड़ा है वहां मौके पर कोई सड़क नहीं है परंतु राजस्व नक्शे में सड़क वादी की आराजी के आगे लगती हुई निकली हुई हैं। समझाने की दृष्टि से सड़क को नवीन नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। मौके पर सड़क आ.स. 349 के मध्य से होकर घूम कर आ.सं. 345 के उत्तरी कोने से होकर आ. स. 347 में मिलती है जिससे आ.सं. 349 का उत्तरी कोना खाली पड़ा हैं परंतु नवीन नक्शे में सड़क को मौके की स्थिति के अनुसार दर्ज नहीं किया गया तथा न ही आ.सं. 345 के उत्तरी कोने पर सड़क दर्ज की गई है जिससे प्रतिवादीगण जबरन आ.सं. 349 के उत्तरी कोने पर खाली पड़ी जमीन तथा [illegible] लगती हुई वादी की आराजी संख्या 788 / 348 रकबा 0.0432 हैक्ट में [illegible] वादी का कब्जा है पर जबरन पक्का निर्माण करने पर आमादा हो रहें [illegible] प्रतिवादी सं[illegible] के नाम पर दर्ज हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त की भूमी व आ[illegible]9 के उत्तरी कोने पर खाली पड़ी जमीन पर जबरन पक्का निर्माण नहीं करने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण गाली गलौज व लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गए तथा वादी को जान से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 13:03:16 IST
Reason: SelfAttested

मारने की धमकी देने लगे जिससे वादी भंवरलाल ने दिनांक 21.11.2016 को थाना रायपुर पर रिपोर्ट की परंतु प्रतिवादीगण द्वारा किया जा रहा अवैध पक्का निर्माण नहीं रोका गया तथा प्रतिवादीगण ने जोर शोर से वादी के कब्जे काश्त की भूमी व सड़क की भूमी पर अवैध पक्का निमार्ण शुरू कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमी व सड़क की भूमी में जोर शोर से निर्माण शुरू कर देने पर वादी ने दिनांक 24.1.2017 को प्रतिवादी संख्या 5, 6 तथा श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं श्रीमान् अधिशाषी अभियंता महोदय भीलवाड़ा को प्रार्थनापत्र पेश कर प्रतिवादीगण द्वारा किए जा रहे अवैध पक्के निर्माण कार्य को रुकवाने का निवेदन किया परंतु उनके द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी की भूमी व आ.स. 349 में किए जा रहे अवैध पक्के निर्माण को रूकवाए जाने की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी फरमाई जाना न्यायोचित हो गया है यदि प्रतिवादीगण द्वारा दौराने वाद वादी की आ. सं. 788/348 व आ.सं. 349 के उत्तरी कोने पर पक्का अवैध निर्माण कर लिया जाए तो जरिए आदेशात्मक आज्ञा के पुनः प्रतिवादीगण के खर्चे से हटाने व प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा पुनः वादी को दिलाए जाने की डिकी जारी फरमाई जाए। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 राज्य सरकार के प्रतिनिधी हैं जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हें धारा 80 सी.पी.सी. के तहत दो माह का नोटिस देना आवश्यक हैं परंतु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से यदि उन्हें दो माह का नोटिस देने के पश्चात वाद पेश किया गया तो प्रतिवादीगण अवैध पक्का निर्माण कर लेंगे तथा वादी का वाद पेश करना ही विफल हो जाएगा जिससे उन्हें दो माह का नोटिस दिए ही वाद पेश किया जा रहा है जिसकी अनुमति के लिए धारा 80 (2) सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी सादर फरमाई जाए कि ग्राम मियाला में स्थित वादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आ.स. 788/348 रकबा 0.0432 है0 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का अवैध पक्का निर्माण न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावे तथा वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा प्रतिवादीगण वादी की आराजी के आगे स्थित सड़क की आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 सड़क की भूमि में किसी प्रकार का अवैध पक्का निर्माण नहीं करे तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावे यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्य की भूमि पर पक्का अवैध निर्माण कर लेवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के प्रतिवादीगण के खर्चे से हटावाया जाकर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाए तथा सड़क की आराजी संख्या 349 में दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा पक्का अवैध निर्माण कर लिया जाए तो प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को अवैध निर्माण हटाने हेतु पांबद फरमाया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 13:03:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 4 बावजुद सूवना के उपस्थित नही

होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6 फॉरमल पक्षकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि वादपत्र की कलम नम्बर 1 मे जहां तक ग्राम मीयाला की आराजी संख्या 788/348 रकबा 0.0432 है. वादी की है स्वीकार है। वादपत्र की कलम नम्बर 2 गलत होकर अस्वीकार है आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है. किस्म गैमु सडक प्रतिवादी संख्या 5 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। जो नवीन नवक्षा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम की गई है मौके पर आराजी संख्या 349 प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 3 की खातेदारी आराजी संख्या 343, 344, 345, 346, के नक्शे में बीच मे निकली हुई होकर रोड के उत्तरी, पश्चिमी और प्रतिवादी की दुकाने बनी हुई है। मौके पर सडक नवीन नक्शै के अनुसार नही है वादी भंवरनाथ की आराजी संख्या 788/348 के चारो और पत्थरो की दिवार बनी हुई है एंव इस आराजी के दक्षिणी और रास्ते के पास कच्चा मकान बना हुआ है नवीन नक्शे एंव मौके के अनुसार वादी के रकबे में कोई कमी नहीं है न ही किसी का अतिक्रमण है। कलम नम्बर 3 गलत होकर अस्वीकार है। वादी की आराजी संख्या 788/348 के 0.01 है. पर प्रतिवादी ने कोई जबरन पक्का निर्माण नहीं किया है न ही आराजी संख्या 350 के उत्तरी कोने पर पक्का निर्माण किया है प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि मे अपने परिवार की आजिविका चलाने हेतु दुकाने बनाई है जिस पर प्रतिवादीगण छोटा मोटा काम धन्धा कर सकेंगे और अपने परिवार का गुजर बसर करेगे और वादी को प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार का गाली गलोच लडाई झगडा नही की है न ही जान से मारने की धमकी दी है। प्रतिवादीगण अपनी स्वयं की आराजी मे निर्माण कर रहे है जो पुर्ण हो चुका है उक्त निर्माण मौके के अनुसार आराजी संख्या 349 मैं नहीं है, बल्कि उनके खातेदारी भुमि में है। कलम नम्बर 4 गलत होकर अस्वीकार है वादी ने प्रतिवादी को बेजा परेशान करने की गरज से एंव किसी न किसी प्रकार इनका निर्माण रुकवाने की गरज से न्यायालय आप मे वादपत्र प्रस्तुत कर दिया है वादी ने पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग की आराजी संख्या 349 के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्व तहसीलदार साहब रायपुर को रिपोर्ट दी थी जब कि मौके पर आराजी संख्या 349 खाली पड़ी हुई है उक्त तथ्यो की पटवार हल्का एंव भु–अभिलेख निरिक्षक ने भी अपनी मौके रिपोर्ट में ताईद की है प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण व निर्माण नहीं किया है जिससे वादी उनके विरुद्ध बैदखल करने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। मजीद कथन के रूप में भी जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सव्यय खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 सहायक अभियंता रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकन किया कि ग्राम बोराणा से कोट–बगड़ सड़क जो ग्राम मियाला से गुजर रही है। सड़क ग्राम मियाला में राजस्व रेकार्ड में मौके पर बनी हुई है वहां दर्ज नही होकर दुसरी जगह दर्ज की हुई है। उक्त सड़क को मौके पर बनी हुई सड़क के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते है तो इससे सार्वजनिक निर्माण विभाग को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 13:03:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब के रूप में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मियाला की आराजी संख्या 788/348 रकबा 0.0432 है0 वादी भंवरनाथ पिता रामनाथ जोगी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है जिस पर वर्तमान में चारो और पत्थरो की दीवार बनी हुई है एवं उक्त आराजी के दक्षिण की ओर रास्ते के पास अस्थाई अर्द्वनिर्मित मकान बना हुआ है। क्षैत्रफल की गणना मुताबिक नक्शे व मौके के अनुसार वादी के नाम दर्ज रकबे में कोई कमी नही है। अर्थात उक्त आराजियात की भूमि पर किसी का कब्जा अथवा अतिक्रमण नही है। आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है0 किस्म सड़क जो कि राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम पर दर्ज है परन्तु मौके पर जहां सड़क नक्शे में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्शायी गई उस स्थान पर वास्तव में मौके पर पूर्ण रूप से सड़क नही है। सड़क बनी हुई है जिसका रकबा 0.03 है0 है जो सड़क के उत्तर की तरफ 4 मीटर चौड़ाई में 23 मीटर लम्बाई तक खुला क्षैत्र पड़ा हुआ है। जहां तक आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है0 गै.मु सड़क में प्रतिवादीगणो का प्रश्न है केवल सड़क के उत्तरी पूर्वी तरफ सिढ़ीया बनाने के मकसद से आरसीसी में रेम्पनुमा ढांचा बना रखा है एवं दक्षिण पूर्व में सड़क सीमा का आंशिक भाग जो कि अर्द्व निर्मित अवस्था मे है पर प्रतिवादीगणो द्वारा कब्जा होना पाया गया जिसके लिये प्रतिवादीगणो को बाद नपती कार्य के सीमाकंन के बिन्दुओ से अवगत कराने पर स्वयं ने ही हटा लेना स्वीकार किया। उक्त प्रकरण में जो विवादित दुकानो के बाद में सड़क सीमा में होने का उल्लेख किया है वह रेकार्ड अनुसार गलत है क्योंकि उक्त दुकाने विपक्षीगणो की आराजी संख्या 343, 344, 345, 346 में निर्मित है एवं जहां सड़क वर्तमान में मौके पर निकल रही है वह विपक्षीगण एवं अन्य के शामलाती खाते में दर्ज है। मूल विवाद भू प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी नम्बर 349, 347, 341 में जो सड़क दर्शायी गई है वह मौके की स्थिति अनुसार सही नही होने से उत्पन्न हुई है। गत एवं वर्तमान स्थिति में जहां मौके पर सड़क दर्शाई गई है एवं वास्तव में मौके पर सड़क स्थिति है उसके सत्यापन हेतु मौके पर आराजी संख्या 387 गे.मु.आचा आ.स. 338 के पूर्वी ओर 321 एवं 323 के मध्य मेड़ आधार बनाते हुए आराजी संख्या 338, 342, 341, 340, 347, 349 एवं 348 के विभिन्न कोनो से कटान काटते हुए मिलान किया गया उसके पश्चात वर्तमान में मौजुद सड़क के नक्शे में दर्शाया गया जो नक्शा साथ में सलंग्न होकर वास्तविक सड़क को लाल स्याही से दर्शायी गई है। जहां तक विपक्षीगणो द्वारा आराजी संख्या 347 जो गे.मु. सड़क है उसमें से उत्तर पूर्व की ओर जो दुकाने बनी हुई है उसका आंशिक भाग सड़क सीमा में आता है जिसके लिये विपक्षीगणो ने बताया कि उक्त भूमि हमारे खात[illegible] दर्ज थी परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सड़क दर्ज कर दी गई जो गलत होने से श्रीमान के यहां प्रकरण दर्ज कर रखा है जो विचाराधीन है।

उक्त प्रकरण में उ[illegible] उपस्थित होकर उक्त प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णय हेतु चिन्हित कर पूर्व में प्रेषित मौका रिपोर्ट का सत्यापन कर मौका स्थिति के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 13:03:16 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष अधिवक्ताओ एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2022 को मौका निरीक्षण कर मौका स्थिति से पक्षकारान को अवगत कराते हुए पर्चा मौका बनाया गया जो शामिल पत्रावली है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में संलग्न रेकार्ड और तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का मनन करने से पाया कि राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है0 भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर रखी है जबकि उक्त नम्बर के सम्पूर्ण रकबे पर सड़क नही निकल कर 0.02 है0 पर ही निकल रही है और शेष रकबा प्रतिवादीगण के कब्जे में है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा उनके कब्जे की भूमि में दुकाने निर्मित कर रखी है और उससे पिछे का भाग की भूमि जो वादी का है किन्तु प्रतिवादीगण वादी की आराजियात की ओर बढ़ कर कब्जा कर सकते है जिससे प्रतिवादीगणो को पांबद किया जाना आवश्यक होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आ.स. 788/348 रकबा 0.0432 है0 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का अवैध पक्का निर्माण न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावे तथा वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/03/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 13:03:16 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–12/2017 (2017/00021) वाद पत्र

अनवान

1–भवंरनाथ पिता रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–मिश्री पिता मोडा जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–सुड़ा पिता मोडा जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–बद्री पिता मोडा जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–जगदीश पिता बालु जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय रायपुर तहसील रायपुर
6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आ.स. 788/348 रकबा 0.0432 है0 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का अवैध पक्का निर्माण न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावे तथा वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22/03/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक-कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 13:03:16 IST
Reason: SelfAttested